निर्वाचन संबंधी
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प017(1) शिक्षा–1 / जनरल / 2014 जयपुर, दिनांक : 31/10/2018

निदेशक,
माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– विधानसभा आम चुनाव, 2018–मतदान को मतदान दलों में लगाये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित करने बाबत्।

संदर्भ :– शासन सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर के अ.शा.टीप क्रमांकः पं. 8(2)(30)निर्वा. / 2017 / 8185 दिनांक 22.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार मतदान दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को होगा। मतदान कराने हेतु मतदान दलों में शिक्षकगणों को भी नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में माननीय ~~उच्च~~ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक 509 / 65 / 2003 / जे.एस.1 दिनांक 28 जनवरी, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया है कि विद्यालयों में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया जावे साथ ही मतदान दलों की रवानीगी के दिन यदि विद्यालयों में अध्यापन का दिन होतो उस दिन का भी उन विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जावें।

मतदान कराने हेतु मतदान दल 06 दिसम्बर, 2018 को रवाना होगें। कुछ जिलों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दल 05 को भी रवाने होगें।

अतः मतदान दलों की रवानगी 06 दिसम्बर, 2018 को एवं जो मतदान दल दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को रवाना होगें, उन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर्स) को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय
31.10.18

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव,प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर की अ0शा0पत्र दिनांक 22.10.2018 के क्रम में।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) समस्त जिलें।
3. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(बी0के0गुप्ता)
विशेषाधिकारी,शिक्षा

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय
एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) वि
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या S-10598
दिनांक 28/X/18

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

विषयः– विधानसभा आम चुनाव, 2018 – मतदान कार्य हेतु शिक्षकगणों को मतदान दलों में लगाये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार मतदान दिनांक 07.12.2018 को होगा। मतदान कराने हेतु मतदान दलों में शिक्षकगणों को भी नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक 509/65/2003/जे.एस.1 दिनांक 28. जनवरी, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया है कि विद्यालयों में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया जावे साथ ही मतदान दलों की रवानगी के दिन यदि विद्यालयों में अध्यापन का दिन हो तो उस दिन का भी उन विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जावें।

मतदान कराने हेतु मतदान दल 6 दिसम्बर, 2018 को रवाना होगें। कुछ जिलों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दल 5 दिसम्बर, 2018 को भी रवाने होगें।

अतः निवेदन है कि मतदान दलों की रवानगी 6 दिसम्बर, 2018 को एवं जो मतदान दल दिनाक 5 दिसम्बर, 2018 को रवाना होगें, उन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) को अधिकृत करावें। इस संबंध में आपके द्वारा जारी आदेश की एक प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
शासन सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
प्रारम्भिक एवं माध्यमिकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/8185
जयपुर, दिनांक 22/10/18

www.rajteachers.com

36

By Fax/Speed Pos

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

NARENDRA N. BUTOLIA
UNDER SECRETARY

No.509/65/2003/J.S.I Date: 28.01.08

To

The Chief Electoral Officers
of all States & Union Territories,

Sub.-Use of teachers in election work.

Sir,

I am directed to say that the Hon'ble Supreme Court has passed its judgement and order on 06.12.07 in C.A 5659 of 2007 filed by the Commission against the judgement and order dt. 11.08.04 passed by a Division Bench of the Delhi High Court in W.P.C No.-1076 of 2003-St. Mary's School Vs. U.O.I.& Othrs.

The Hon'ble Supreme Court has directed that teaching staff shall be put on duty of roll revision and election works on holidays and non-teaching days. The Court has further directed that teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teaching hours and non-teaching staff, however, may be put on such duty on any day and any time, if permissible in law.

Regarding use of teachers in electoral roll revision work, the Commission has issued a separate instruction vide its letter dated 28.01.08. With regard to use of teachers in other election related work, in view of the Supreme Court judgement, the Election Commission issues the following directions:-

As of now, a holiday is declared on poll day. The Commission desires that if the day of dispatch (the day most of the polling parties are dispatched) happens to be teaching day for the schools, then that day should also to be declared a local holiday for the schools wherever necessary. The Commission further directs that whenever teachers are appointed as Presiding Officers and other polling officers, the training session for them shall be conducted, as far as practicable, on holidays.

This shall be brought to the notice of all concerned.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)

www.rajteachers.com